झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०–SUDA/AMRUT/Tax Reform-16/2015.....1658 राँची, दिनांक...02/11/2017

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में नगर विकास एवं आवास विभाग सतत् प्रयासरत है। इस क्रम में राज्य के नगर निकायों में विभिन्न शहरी सुधारों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की सुविधा हेतु विभिन्न ई–गवर्नेंस सेवाओं का अधिष्ठापन किया गया है।

2. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'अमृत' के अंतर्गत इंगित शहरी सुधार कार्यक्रमों के तहत राज्य के नगर निकायों में राजस्व संग्रहण का 90% विस्तार एवं 90% संग्रहण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस क्रम में धृति कर (Holding Tax), जल उपयोग शुल्क (Water User Charges) तथा व्यापार अनुज्ञप्ति (Trade License) की प्रक्रिया को राज्य के नगर निकायों में E-Governance सेवाओं के तहत कम्प्यूटरीकृत किया गया है एवं ऑनलाईन माध्यम से स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

3. ऑनलाईन माध्यम से Water Connection निर्गत किए जाने की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने तथा कार्य के शीघ्र अनुपालन की दिशा में निकायों के प्रकार, संरचना, मानव संसाधन की वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान कार्य प्रणाली के आधार पर एक कार्य प्रवाह (Work Flow) तैयार कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है। इस कार्य प्रणाली के आधार पर निकायों में नवीन जलापूर्ति कनेक्शन से संबंधित कार्य किए जायेंगे, जो निम्नवत् है :–

NEW WATER CONNECTION WORK FLOW

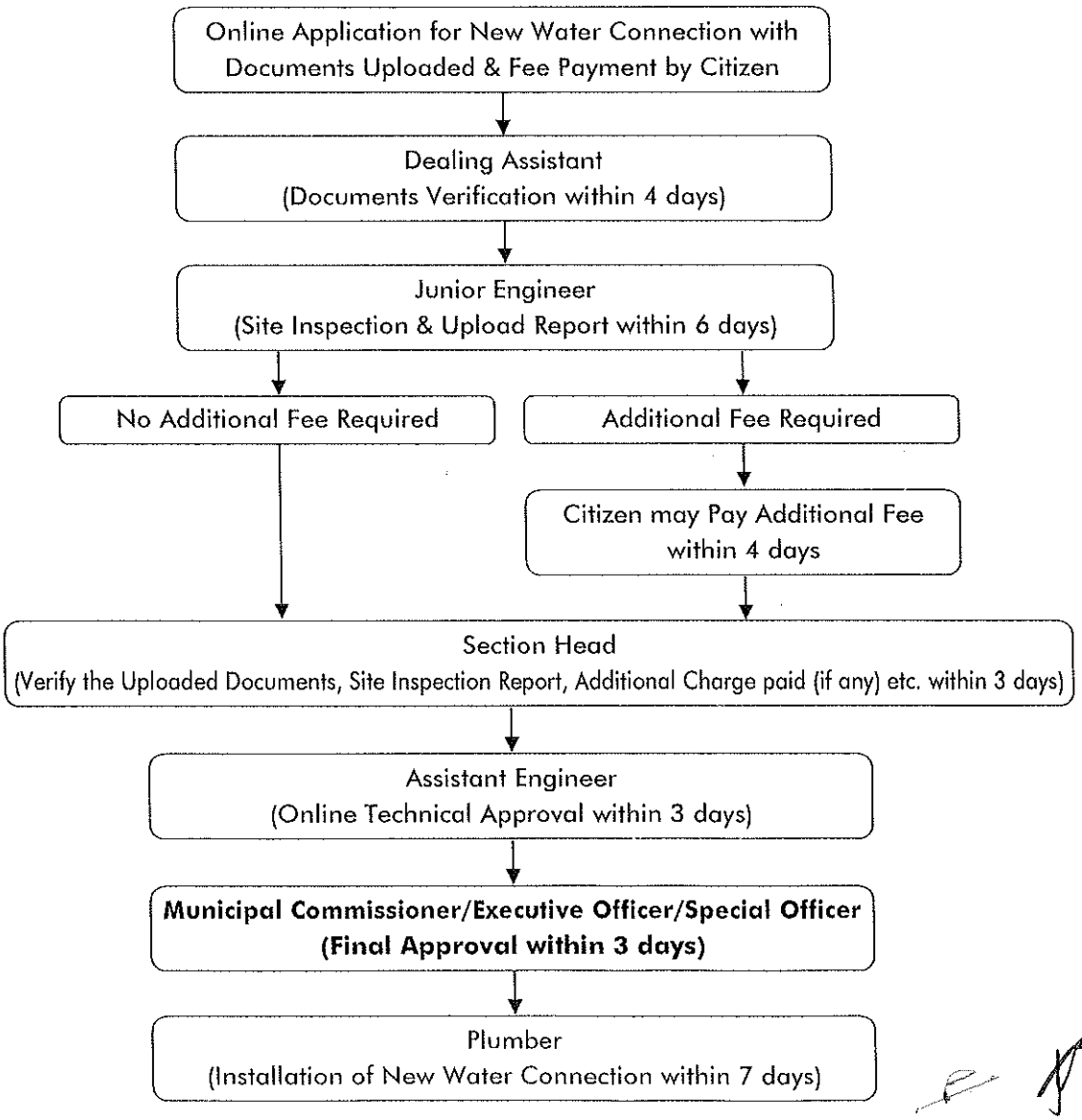

4. उपरोक्त कार्य प्रवाह की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

4.1 सभी नगर निकायों में नवीन जलापूर्ति कनेक्शन हेतु नागरिकों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से आवेदन समर्पित किया जाएगा। साथ ही दस्तावेजों को अपलोड करते हुए शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा।

4.2 निकाय के Dealing Assistant द्वारा दस्तावेजों की जाँच अधिकतम 4 दिनों में पूर्ण की जाएगी।

4.3 निकाय के कनीय अभियंता द्वारा Site Inspection करते हुए प्रतिवेदन अधिकतम 6 दिनों के अंदर पोर्टल में अपलोड की जाएगी। नागरिकों द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान अधिकतम 4 दिनों के अंदर किया जाएगा।

4.4 निकाय के प्रशाखा प्रमुख (Section Head) द्वारा प्राप्त सभी दस्तावेजों की जाँच अधिकतम 3 दिनों के अंदर पूर्ण की जाएगी।

4.5 निकाय के Assistant Engineer द्वारा प्राप्त सभी दस्तावेजों की जाँच कर तकनीकी स्वीकृति अधिकतम 3 दिनों के अंदर दी जाएगी।

4.6 निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 3 दिनों के अंदर नवीन जलापूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

4.7 तत्पश्चात् निकाय के Plumber द्वारा अधितकतम 7 दिनों के अंदर नवीन जलापूर्ति कनेक्शन का अधिष्ठापन किया जाएगा।

5. विभागीय अधिसूचना सं॰ 6574, दिनांक–20.10.2017 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नवीन जलापूर्ति कनेक्शन के आवेदन ऑनलाईन समर्पित किए जाऐंगे एवं इसकी प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से पूर्ण कर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

31.10.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Tax Reform-16/2015 1658 राँची, दिनांक– 02/11/2017

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

31.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Tax Reform-16/2015 1658 राँची, दिनांक– 02/11/2017

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Tax Reform-16/2015 1658 राँची, दिनांक– 02/11/2017

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।